(4)

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to sri सिप्रियन किन्डो

S/O, W/O D/O स्व० तिन्तुस किन्डो Village गोतरा ठाकुर टोली

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri मति पार्वती देवी S/O,W/O D/O श्री दलभंजन मोर

Village गोतरा ठाकुर टोली P.S सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 20-8-2015

in Rev,C.N.T.case No 141 of 2015-16

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana No.	Khata No.	plot No	Area(in acres)	Value for Sale
गोतरा	सिमडेगा 80	120	4996	1.62 एकड़ में 0.01¾ ए०	55,000/-

चौहद्दी:- प्लॉट नं०-4996

उ०:- नीज क्रेता का मकान

द०:- कच्चा रास्ता 12' का

पू०:- इसी प्लॉट से छोड़ा गया 12' का कच्चा रास्ता

प०:- करलुस मिंज का घेरा

Sd........(signature)

L.R.D.C.Simdega

Memo No. 616 (ii)/Rev. Dated (Simdega the 20-8-2015

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri सिप्रियन किन्डो पिता स्व० तिन्तुस किन्डो

Village गोतरा ठाकुर टोली P.S सिमडेगा District Simdega

For information and needful

कार्यालय उप समाहर्ता भूमि सुधार ★ सिमडेगा ★

(signature) /2018

L.R.D.C. Simdega

8/02/2016 13/02/2016 ⑥

कार्यालय, अंचल अधिकारी ....सिमडेगा........

पत्रांक ~~155~~ 155

दिनांक 13/8/2015

सेवा में ,

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा/ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सिमडेगा ।

COURT FEE INDIA TWO RUPEES

विषय :- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन ।

प्रसंग :- अनुमति वाद संख्या 141 सन् 2015-16

1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

१) क - आवेदक (हस्तान्तरण कर्त्ता) का नाम पिता का नाम/पूरा पता : ~~सिप्रियन किन्डो~~ पिता स्व. तिन्तुस किन्डो गोतरा ठकुर टोली थाना + सिमडेगा

ख - जाति : उरांव

२) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : बालकु उरांव वो बंधना उरांव पे० कान्हु उरांव

३) जमीनदारी विलियन के पश्चात उक्त जमीन की जमाबन्दी संख्या तथा जमाबन्दी दार का नाम (28 VIII) : रुबेन उरांव को० पिता सिरील उरांव वो सिप्रियन उरांव वल्द तिन्तुस उरांव ।

४) वर्त्तमान जमाबन्दी संख्या / जमाबन्दी दार का नाम : — तदैव —

५) वर्त्तमान जमाबन्दीदार को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : उत्तराधिकारी के रूप में

६) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : आवेदक (वर्ष 14-15 का लगान अद्यतन)

७) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : स्वयं

वंशावली
सिरिल उरांव

८) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार है तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा : खाता नं 120 रकबा 9.91ए० खाता नं. 135 रकबा 11.76ए० 21.67 ए०

सामुयल
तिन्तुस उरांव
सिप्रियन किन्डो (आवेदक)

९) क्या आवेदक बड़े भू धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरूद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है : नहीं

१०) क- क्या उक्त जमीन भूदान की है : नहीं

ख- लैण्ड सिंलिंग के किसी वाद में सम्मिलित हैं : नहीं

११) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य : बीमारी का इलाज

१२) जमीन का किस्म एवं ब्योरा :

ग्राम/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
गोतरा 80	120	4996	1.62 में से 0.01 ए०	आवासीय

१३) जमीन का मूल्य जो अगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो : 30,625.00/- प्रति डि०

१४) जमीन का वर्त्तमान मूल्य : 55,000/-

१५) विक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि : 3.61ए०

१६) बिक्री के बाद शेष भूमि : 3.59ए०

कार्यालय अनुमंडल सिमडेगा

अंचल निरीक्षक 13/02/16

अंचल अधिकारी 13/4/16

(२)

2. क्रेता के सम्बन्ध में

१) क - क्रेता का नाम / पिता का नाम घर का पूरा पता : श्रीमति - पार्वती देवी पति श्री- दलभंजन गोप, गोतरा ठकुर टोली थाना + जिला - सिमडेगा

ख - जाति : गोंड़

२) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी हैं ? एक ग्राम एवं एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

३) जमीन खरीदने का कारण / आवश्यकता : गृह निर्माण हेतु।

४) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड सिंलिंग का वाद चला है : नहीं

५) उनके पास तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास कुल जमीन कितनी है : —

६) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो उसका ब्योरा : नहीं

७) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का अतिरिक्त जमीन क्रय करने की आवश्यकता/उद्देश्य औचित्य : नहीं

८) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल धारित जमीन की रकबा ब्योरा : नहीं

९) जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा कि शैक्षणिक संस्था के पास कुल कितनी जमीन है और अतिरिक्त कितनी जमीन उद्देश्य हेतु आवश्यकता है : नहीं

१०) अभियुक्ति

विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं एवं अ.ज.जा. की श्रेणी में आते हैं। बिक्री के पश्चात आवेदक के पास शेष 3.54 एकड़ भूमि बचती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु श्रीमान को अग्रसारित।

H.A.K.

अंचल अधिकारी
सिमडेगा.....
13/8/15

[Stamp: कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा]

[Stamp: जिला अवर निबंधक सिमडेगा (झारखण्ड)]

2.10.5
20/8/2015
D.C.

अ० अ०
प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु निबंधन अग्रसारित।

13/02/16

(6)

न्यायालय लगानवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा

अनुमति वाद संख्या 141 आर 8 (II) /2015–16

श्री सिप्रियन किन्डो .... आवेदक।

बनाम

झारखण्ड सरकार...विपक्षी।

आदेश

आवेदक श्री सिप्रियन किन्डो पिता–स्व0 तिन्तुस किन्डो, ग्राम–गोतरा ठाकुरटोली, थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विकी हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरणः–

मौजा	थाना	थाना न0	खाता न0	प्लाट न0	रकबा
गोतरा	सिमडेगा	80	120	4996	1.62 ए0मेंसे 0.01 3/4 ए0

कुल रकबा (शब्दों में) पौने दो डीसमील मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन बिमारी का ईलाज एवं अन्य आवश्कताओं को पूरा करने के लिए केता श्रीमती पार्वती देवी पति–श्री दलभजन भोय, ग्राम–गोतरा ठाकुरटोली, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा (जाति गोंड़) को विकी कर रहे हैं। यदि कोई आपत्ति हो तो मौजा–गोतरा थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा के आम जनता एवं अंचल अधिकारी सिमडेगा जिला–सिमडेगा को आम सूचना दी गई थी। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 155 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी है, उक्त भूमि खतियानी रैयत बालकु उरांव वो बंधना उरांव पे0 कान्हु उरांव के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि के वर्तमान जमाबंदीदार खाता संख्या 120 रूबेन उरांव वगै0 पिता सिरिल उरांव वल्द तिन्तुस उरांव नाम से कायम है। प्रस्तावित भूमि का लगान आवेदक के स्वयं द्वारा दिया जाता है। आवेदक अपने खतियानी भूमि को बिकी कर रहा हैं। विकेत्ता एवं केता दोनो अनुसूचित जनजाति उरांव एवं गोंड़ जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि विकी के पश्चात आवेदक के पास 03.59 एकड़ भूमि शेष बचता है विकी की जाने वाली इनकी खतियानी भूमि है। जो इन्हें उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त भूमि है।

भूमि स्वामित्त्व से संबधित कागजात में खतियानी एवं लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है। केता की ओर से अंचल अधिकारी सिमडेगा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या 2754 दिनांक 04.07.2015 की छायाप्रति प्रस्तुत किया है तथा विकी की जाने वाली जमीन की चौहदी भी प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा–गोतरा, थाना न0–80 थाना–सिमडेगा जिला सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न0 120 प्लॉट संख्या 4996 रकबा 0.01 3/4 एकड़ जमीन को बिमारी का ईलाज एवं अन्य आवश्कताओं को पूरा करने के लिए केता श्रीमती पार्वती देवी

13/02/16

13/2/16

पति–श्री दलभजन भोय, ग्राम–गोतरा ठाकुरटोली, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा को मो0 55,000.00 (शब्दों में) पचपन हजार रूपये मात्र में अपने खुशी राजी से विकी कर रहा हूँ। उक्त जमीन विकी करने के बाद 03.59 एकड़ जमीन शेष बचती है, जो जीविका के लिए पर्याप्त है। विक्रेता एवं केता दोनो अनुसूचित जन जाति उरांव एवं गोंड़ जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा–गोतरा, थाना न0–80 थाना–सिमडेगा जिला सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न0 120 प्लॉट संख्या 4996 रकबा 0.01 3/4 एकड़ जमीन आवेदक श्री सिप्रियन किन्डो पिता–स्व0 तिन्तुस किन्डो, ग्राम–गोतरा ठाकुरटोली, थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा को केता श्रीमती पार्वती देवी पति–श्री दलभजन भोय, ग्राम–गोतरा ठाकुरटोली, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विकी करने की अनुमति ......दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

पुनश्चः तालिका तीन प्रति में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

COURT FEE INDIA TWO RUPEES 2 Rs.

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

जिला अवर निबंधक सिमडेगा, जिला–सिमडेगा (झारखण्ड)

Received
Sanjay kumar Mahto
Advi
22/8/15

कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा

R – 5.00
F – भुक्ष
AF – 8.00
योग – 13.00
कुल तेरह रुपये मात्र 13/02/16

प्रधान लिपिक